भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–42/2019–20

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
29.06.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, बन्दगाँव का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, बन्दगाँव को स्मारित करें। अगली तिथि 20.07.2019 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 20.07.2019 को उपस्थापित करें । भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
20.07.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, बन्दगाँव का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, बन्दगाँव को स्मारित करें। अगली तिथि 20.08.2019 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 20.08.2019 को उपस्थापित करें । भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
20.08.2019	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, **बन्दगाँव** के पत्रांक–193, दिनांक– 29.07.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक 10.08.2019 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, **बन्दगाँव** ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक **लक्ष्मी नारायण नायक**, पिता– **स्व0 पवित्र नायक**, जाति– **भुईयाँ (अ.जा.)**, ग्राम–**कराईकेला**, पो0+थाना–**कराईकेला**, जिला **प० सिंहभूम** ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। अंचल अधिकारी, **बन्दगाँव** के प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि मौजा–**कराईकेला**, थाना नं0–607, थाना–**बन्दगाँव**, खाता नं०–238, प्लॉट नं0– 969, रकवा–0.05 ए0 भूमि क्रेता **प्रफुल्लो महतो**, पिता–श्री **श्रीहरी महतो**, ग्राम– **गजपुर**, जाति–**कुर्मी (अ.पि.वर्ग.)**, पो0+थाना–**सोनुवां**, जिला– **प० सिंहभूम** के पास बिक्री करना चाहते हैं। अंचल अधिकारी बन्दगाँव का जाँच प्रतिवेदन नोटिस तामिलोपरांत प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, बन्दगाँव से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि बिक्रेता **लक्ष्मी नारायण नायक**, पिता– **स्व0 पवित्र नायक**, जाति– **भुईयाँ (अ.जा.)**, ग्राम–**कराईकेला**, पो0+थाना–**कराईकेला**, जिला **प० सिंहभूम** जाति–**भुईयाँ (अ.जा.)** एवं क्रेता **प्रफुल्लो महतो**, पिता–श्री **श्रीहरी महतो**, ग्राम– **गजपुर**, जाति–**कुर्मी (अ.पि.वर्ग.)**, पो0+थाना–**सोनुवां**, जिला– **प० सिंहभूम** जाति–**कुर्मी (अ.पि.वर्ग.)** सदस्य है। CNT Act के प्रावधानानुसार क्रेता एवं बिक्रेता दोनों एक ही जाति का सदस्य होना चाहिए। अंचल अधिकारी बन्दगाँव के प्रतिवेदनानुसार उक्त क्रेता एवं बिक्रेता अलग–अलग जाति के हैं। अंचल अधिकारी बन्दगाँव के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक के आवेदन पत्र को **अस्वीकृत** की जाती है। 20.8.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	